तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 170/20 नरेन्द्रसिंह व अन्य बनाम राज0 सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.9.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 834 दिनांक 8.1.20 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज कर विचाराधीन रही। दिनांक 9.9.20 से 31.1.2023 तक वकील अपीलान्ट प्रकरण में निरन्तर उपस्थित रहे है । अचानक गतादेशिका दिनांक 7.2.2023 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से आदेशिका दिनांक 7.2.2023 की रोशनी में कार्यालय नोटिस कमांक 194–95 दिनांक 13.2.2023 जारी किये गये लेकिन अपीलान्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया तदोपरान्त आदेशिका दिनांक 11.7.23 की रोशनी में पुनः कार्यालय नोटिस कमांक 618 दिनांक 12.7.23 जारी किये गये जो बाद तामील शामिल फायल है। अवलोकन किया गया अवलोकन से यह अवगत हुआ कि अधिकांश अपीलान्टस फौत हो चुके है शेष अपीलान्टस के द्वारा नोटिस लेने से इन्कार कर दिया एवं अपीलान्टस संख्या 1 नरेन्द्रसिंह के नोटिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार ".... नोटिस लेने से इन्कार कर दिया कहा हमने काई अपील नहीं की है..." इसके अलावा अपीलान्ट मानसिंह, रामअवतार, धर्मसिंह के बाद तामील नोटिस शामिल फायल है किन्तु बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। इस प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज हुये लगभग 3–4 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका और अचानक दिनांक 7.2.23 को उनके वकील के द्वारा पैरवी से इन्कार किया गया। इस पर कार्यालय स्तर से उनको नोटिस भी जारी किये गये तो अधिकांश अपीलान्टस के फौत होने, शेष ने नोटिस लेने से इन्कार, एवं कोई अपील नहीं करने की सूचना प्राप्त हुई है। स्वयं अदालत हाजा द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई प्रतिनिधि का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से इस अपील को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। अपीलान्टस व उनके वकील का उपस्थित होकर पैरवी नहीं किये जाने के कारण यह अपील बिना गुणावगुण पर विचार किये इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 18-9-2023 संभागीय आयुक्त, भरतपुर	